झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

द्वितीय (बजट) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरुवार, दिनांकः– 29 फाल्गुन, 1941 (श०) / 19 मार्च, 2020 (ई०) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां०सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
481–	ज–46	श्री केदार हजरा	जीर्णोद्धार कार्य कराना।	जल संसाधन	07.03.20
482–	ज–06	श्री भानु प्रताप शाही	बराज का निर्माण कराना।	जल संसाधन	21.02.20
483–	ऊ–23	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	TRW कार्य कराना।	ऊर्जा	01.03.20
484–	कृष–16	श्री मथुरा प्रसाद महतो	नौकरी एवं मुआवजा देना।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	25.02.20
485–	ज–48	श्री इन्द्रजीत महतो	योजना प्रारंभ कराना।	जल संसाधन	08.03.20
486–	कृष–27	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	चिकित्सक का पदस्थापन।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	07.03.20
487–	क0–18	श्री नलिन सोरेन	छात्रावास भवन का निर्माण।	अनु0ज0जा0, अनु0जा0, अल्प0 एंव पिछ0 वर्ग कल्याण	07.03.20
488–	ऊ–30	श्री विरंची नारायण	पावर सब-स्टेशन चालू करना।	ऊर्जा	12.03.20
489–	ज–32	श्री अनन्त कुमार ओझा	जल का निस्सरण।	जल संसाधन	01.03.20
490–	कृष–17	डा0 इरफान अंसारी	राशि का भुगतान।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	24.02.20
491–	ऊ–28	सुश्री अम्बा प्रसाद	कम्पनी पर कारवाई।	ऊर्जा	08.03.20

कृ०पृ०उ०/–

492-	जा-26	श्री अमित कुमार मंडल	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	07.03.20
493-	क-02	श्री प्रदीप यादव	छात्रवृत्ति देना।	अनु0ज0जा0, अनु0जा0,अल्प एवं पिछ0 वर्ग कल्याण	24.02.20
494-	जा-05	श्री विनोद कुमार सिंह	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	21.02.20
495-	जा-27	श्री रणधीर कुमार सिंह	पावर ग्रीड का निर्माण कराना।	ऊर्जा	08.03.20
496-	ज-03	श्री विनोद कुमार सिंह	योजना पूर्ण कराना।	जल संसाधन	21.02.20
497-	जा-18	श्री मनीष जायसवाल	ट्रॉंसफर्मर मरम्मति कराना।	उर्जा	27.02.20
498-	ज-43	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	दोषियों पर कारवाई।	जल संसाधन	07.03.20
499-	क-17	श्री लोबिन हेम्ब्रम	मानदेय लागु करना।	अन0ज0जा0, अनु0जा0,अल्प एवं पिछ0 वर्ग कल्याण	05.03.20
500-	मस0-05	श्री प्रदीप यादव	योजना का लाभ दिलाना।	महि0बाल वि0 एवं सामा0 सुरक्षा	24.02.20
501-	ज-47	श्री वैधनाथ राम	दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई।	जल संसाधन	08.03.20
502-	जा-25	श्री भूषण बाढ़ा	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	07.03.20
503-	ज-33	श्री अमित कुमार यादव	वैकडेम का निर्माण।	जल संसाधन	01.03.20
504-	ज-35	श्री अमित कुमार मंडल	सिंचाई योजना का निर्माण।	जल संसाधन	03.03.20
505-	ज-44	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	दोषियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	07.03.20
506-	जा-16	श्री मनीष जायसवाल	ग्रीड का निर्माण कराना।	ऊर्जा	27.02.20
507-	खा-10	सुश्री अम्बा प्रसाद	भुगतान कराना।	खाद्य,सार्व0 वित0 एवं उप0मामले	07.03.20
508-	क-07	डॉ0 इरफान अंसारी	आवासीय विद्यालय खोलना।	अनु0ज0जा0, अनु0जा0,अल्प एवं पिछ0 वर्ग कल्याण	25.02.20
509-	कृष-29	श्री समीर कुमार महांति	प्रोसेसिंग प्लांट बनाना।	कृषि पशु0एवं सहकारित	12.03.20
510-	जा-12	श्री मधुरा प्रसाद महतो	ग्रामीण दर पर बिजली भुगतान।	ऊर्जा	24.02.20
511-	मस-07	श्री दीपक विरुवा	सामग्रियों की आपूर्ति	महि0बा0वि0 एवं सामा0सुरक्षा	07.03.20
512-	कृष-28	श्री कमलेश कुमार सिंह	चिकित्सक का पदस्थापन।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	07.03.20
513-	ज-07	श्री भानु प्रताप शाही	बांध का निर्माण कराना।	जल संसाधन	21.02.20

कृ0पृ030/-

* 514- ज-46	श्री राज सिन्हा	दोषियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	07.03.20

* जल संसाधन विभाग के पत्रांक -2159, दिनांक-17/3/20 के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

राँची

दिनांकः- 19 मार्च,2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०-प्रश्न-05/2020-1081/वि०स०,राँची,दिनांकः- 16/3/20

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 16/3/2020
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-:-झा०वि०स०-प्रश्न-05/2020-1081-/वि०स०,राँची,दिनांकः-16/3/20

प्रतिलिपिः-आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 16/3/2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-:-झा०वि०स०-प्रश्न-05/2020-1081-/वि०स०,राँची,दिनांकः- 16/3/20

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 16/3/2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

15.03.20

MOIN/-

(481)

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह के जमुआ प्रखण्ड के अंतर्गत उसरी सिंचाई योजना जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस योजना से लगभग 9 कि०मी० दूरी पर नहर बराज अवस्थित है, जिसके जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण ग्राम पंचायत मकमजों के मंगोडीह तथा खरगडीहा पंचायत खम्भारबाद, गाण्डो, तेलोडीह कृषकों 100 एकड़ भूमि में सिंचाई नहीं हो रही है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उसरी जलाशय एवं नहर का पूर्ण जीर्णोद्धार कराने की बराज बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	उसरी वीयर एवं नहर का आवश्यक जीर्णोद्धार कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा एवं आगामी वर्षों में क्षेत्रीय संतुलन तथा बजट उपलब्धता के आलोक में योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–48/2020 – 2158 /राँची, दिनांक 17/3/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 890 वि०स० दिनांक 07.03.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2020

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(482)

श्री भानु प्रताप साही, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा खरौंधी प्रखण्ड अंतर्गत डोमनी बराज योजना की स्वीकृति कई वर्षों पूर्व मिल चुकी है, परंतु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के हित में बराज निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भू अभिलेखों के Digitalization के कारण शीर्ष कार्य के भू–अर्जन की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। सम्प्रति शीर्ष कार्य के लिए भू–अर्जन की धारा–11 के तहत कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है एवं धारा–19 के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। नहर एवं वितरण प्रणाली के भू–अर्जन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत शीर्ष कार्य का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1649 रांची, दिनांक– 01/3/2020

प्रतिलिपि – अपर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–124 दिनांक–21.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1-3-20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(483)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–23 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि महागामा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी प्रखण्डों में 20 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। • महागामा प्रखण्ड में जले ट्रांसफार्मरों की संख्या–03 (1x25KVA, 1x63KVA, 1x100KVA) • मेहरमा प्रखण्ड में जले ट्रांसफार्मरों की संख्या–02 (1x25KVA, 1x63KVA) • ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में जले ट्रांसफार्मरों की संख्या–05 (1x10KVA, 1x63KVA, 2x100KVA, 1x200KVA) जले ट्रांसफार्मर से संबंधित प्राक्कलन स्वीकृत है एवं ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य प्रगति पर है। एक सप्ताह के अंदर जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया जायेगा।
2. क्या यह बात सही है कि ट्रांसफार्मर जलने के कारण कई बार 20 से 25 दिनों तक अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ता है क्योंकि ट्रांसफार्मर देवघर जिला से लाना पड़ता है, जिसमें समय की बर्बादी होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा में बन रहे TRW को अविलंब शुरू कराना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	गोड्डा में बन रहे टी०आर०डब्ल्यू० के असैनिक (Civil) एवं विद्युत संबंध का कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 31 मई 2020 तक पूर्ण होने के उपरांत टी०आर०डब्ल्यू० चालू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 534 / दिनांक 12/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2020
सरकार के अवर सचिव

(485)

श्री इन्द्रजीत महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक-19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-48 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत सिन्दरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड कृषि पर आधारित ग्रामीण क्षेत्र हैं ;	कोई टिप्पणी नहीं।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखण्डों में पूर्व में उद्वह सिंचाई योजना संचालित थी, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण बंद है, जिससे स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्षों से बंद पड़ी योजना को प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	बलियापुर प्रखण्ड अंतर्गत तीन तथा गोविन्दपुर प्रखंड अंतर्गत दस उद्वह सिंचाई योजनाएँ पूर्व में संचालित थीं, जो वर्षो से बन्द हैं एवं अति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। इन योजनाओं हेतु लाभुक समिति का गठन तथा उनके द्वारा योजना के रख–रखाव एवं विद्युत संयोजन तथा विद्युत–विपत्र के भुगतान की सहमति प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर कार्य कराने के बिन्दु पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–51/2020 2156 / राँची, दिनांक–17/3/2020

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कौंके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Desk\My documents\2019-20\Vidhan Sabha 19-20\Feb 2020\Indrajit Mahto_48_19.03.20.docx

486

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या- कृष-27 का उत्तर।

क०सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत डाड़ी प्रखंड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय भवन बना हुआ है लेकिन विभाग द्वारा पशु चिकित्सक का पद सृजित नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को पशुओं के उपचार हेतु बाहर जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखंड अन्तर्गत पशु उपचार हेतु पशुचिकित्सक कार्यरत (अतिरिक्त प्रभार) हैं।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पशु चिकित्सालय भवन डाड़ी में पशु चिकित्सक का पद सृजित करते हुए पशु चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है,हाँ तो कब तक,नहीं, तो क्यों ?	डाड़ी में डॉ० मजहरूल हसन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत (अतिरिक्त प्रभार) हैं।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक- 6/वि०स०/तारांकित/19/2020 प०पा०/ 319 /राँची, दिनांक 18/03/2020

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० 897वि०स०, राँची, दिनांक–07.03.2020 के आलोक में उत्तर की कुल 200 चक्रलिखित प्रतियाँ एवं अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/20
सरकार के अवर सचिव

Ok/-

श्री नलिन सोरेन, माननीय स० वि० स० के द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–18 का उत्तर सामग्री

क्र.	तारांकित प्रश्न संख्या–क–18	माननीय मंत्री, अनु० जन० जाति अनु० जा० एवं पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक कल्याण रहित) कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिलान्तर्गत प्रखण्ड शिकारी पाड़ा के राजकीयकृत उच्च विद्यालय का अनुसूचित जनजाति का छात्रावास जर्जर होने के कारण रहने योग्य नहीं है, छात्रावास नहीं रहने के कारण दूरदराज के छात्रों को पढ़ाई करने में काफी परेशानी का समना करना पड़ता है,	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हित में नया छात्रावास भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2020–21 ई० में कराने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों?	छात्रावास निर्माण हेतु विभाग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छात्रावास निर्माण के मांग के औचित्य की समीक्षोपरांत छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विभागीय अधिसूचना संख्या–327 दिनांक–23.01.18 द्वारा छात्रावास नियमावली 2018 जारी किया गया है। नियमावली की कंडिका 9 के अनुसार– • जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास निर्माण की मांग के औचित्य एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर नये छात्रावास के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। • शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि निर्माणोपरान्त छात्रावास का रखरखाव/मरम्मति / संधारण संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा। इस आशय का शपथ –पत्र संबंधित संस्थान द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु समर्पित आवेदन के साथ देना होगा। विभागीय अधिसूचना संख्या– 327 दिनांक– 23.01.2018 के अनुरूप छात्रावास निर्माण संबंधी प्रस्ताव अप्राप्त है। साथ ही नये छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित नहीं है। नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर छात्रावास संबंधी प्रस्ताव को भारत सरकार भेजा जाएगा।

झारखण्ड सरकार

अनु० जन० जाति अनु० जा० अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 10/वि०स०प्र०–(छा० नि०)–06/2020– 802 रॉंची, दिनांक– 17/3/2020

प्रतिलिपि :1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्री निलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–899 दिनांक –07.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक, आई० टी० डी० ए०, दुमका/प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनु० जन० जाति अनु० जा० अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नेसार अहमद)
सरकार के विशेष सचिव

F:\kailash_Office\Letter\Letter on Vidhan_Sabha.doc

(488)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–30 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चास, बोकारो में पिछले 2 महीने से 24 घंटे में से 16 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है;	अस्वीकारात्मक है। चास, बोकारो में पिछले 2 महीने से 24 घंटे में से 21 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
2 क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत फुदनीडीह में पॉवर सब-स्टेशन बन कर तैयार है, परंतु अभीतक इसे चालू नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्क है।
3. ,क्या यह बात सही है कि फुदनीडीह में पॉवर सब-स्टेशन की शुरूआत हो जाने से इस क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में यथाशीघ्र फुदनीडीह पॉवर सब-सटेशन को चालू कराने और बिजली की स्थिति में सुधार करवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों?	हाँ, फुदनीडीह सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। Commercial Clearance के उपरांत ही फुदनीडीह विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को चालू करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई कर 02 माह में चालू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 575 / दिनांक 16/3/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/20
सरकार के अवर सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत चण्डीपुर जल जमाव क्षेत्र एवं उधवा प्रखण्ड के श्रीधर पंचायत में जल–जमाव क्षेत्र से जल निस्सरण एवं अन्य कार्यों का प्राक्कलन प्रस्ताव (DPR) तैयार कराने हेतु पूर्व में कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज द्वारा कई बार विभागीय पत्राचार हुआ है, किन्तु वर्ष 2017 से आजतक कार्य नहीं हो सका है.	आंशिक स्वीकारात्मक। इस कार्य के लिए EOI अगस्त 2018 में निकाला गया था। E.O.I. Ref. No.- WRD/GPC Div SAHIBGANJ/EOI-06 dt. 26.07.2018 & EOI No.-09 dated 08.09.2018 (copy attached)
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित जल–जमाव क्षेत्र के निस्सरण कार्य के प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कराने हेतु E.O.I. निकाली गयी थी, जिसका कार्य वर्ष 2017 से अबतक अपूर्ण है.	आंशिक स्वीकारात्मक। यह EOI (Expression of Interest) अगस्त 2018 में निकाली गयी थी, जिसे विभागीय संकल्प 329 दिनांक 23.04.2019 के आलोक में सूचीबद्ध परामर्शियों से DPR निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित क्षेत्र के लिए प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अविलम्ब वृहत् सर्वेक्षण कर जल निस्सरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज जिलान्तर्गत चण्डीपुर जल जमाव क्षेत्र एवं उधवा प्रखण्ड के श्रीधर पंचायत में जल–जमाव क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण/सर्वेक्षण के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई करने पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–32/2020 – 1925 /राँची, दिनांक 06/03/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 581 वि०स० दिनांक 01.03.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2020

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

Office of the Executive Engineer
Ganga Pump Canal Division Sahibganj

E.O.I Notice

E.O.I Ref. No.-WRD/GPC DIV./SAHIBGANJ/E.O.I.- 06 Dated – 26.07.2018

1	Name of Work	The Detailed survey and preparation of Drainage Project Report (DPR) for Drainage system of Water from Chandipur Lake (Jheel) / Water logging Area and if Possibility of Irrigation Scheme from Lake then preparation of DPR of Irrigation Scheme along with Drainage system comprising of soil classification, borrow area plan /disposal area plan, Land Acquisition plan,working drawing, working estimate & BOQ for Drainage System/Irrigation System and their structures all complete and getting approved from competent authority with all compliances.
2	EOI Tender fee	Rs. 10000.00
3	Earnest Money	Rs. 100000.00
4	Time of completion of Survey	Within Two Months
5	Time of completion of work	Four Months
6	Last date & Time of receiving of EOI	27.08.2018 5:00 PM
7	date & Time of uploading of EOI on website	06.08.2018 11.30 AM
8	Pre bid meeting	09.08.2018 01.30 PM
9	date & Time of opening of Technical Bid	31.08.2018 03.30 PM
10	Name & address of the office inviting EOI	Executive Engineer, Ganga Pump canal Division Sahibganj Mob–9431194614
11	Help no. of E-Procurement cell	06432–232477

नोटः– ई० ओ०आई० हेतु केवल ई०–निविदा ही स्वीकार किये जायेगें।

ज्यादा जानकारी http://jharkhandtenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता,
गंगा पम्प नहर प्रमंडल,साहेबगंज।

4/8/18
E-O

Office of the Executive Engineer
Ganga Pump Canal Division Sahibganj

(16)

E.O.I Notice

E.O.I Ref. No.-WRD/GPC DIV./SAHIBGANJ/E.O.I.- 09 Dated-08.09.2018

1	Name of Work	The Detailed survey and preparation of Detailed Project Report (DPR) for Drainage system of Water from Sridhar Diyara Water logging Area and If Possibility of Irrigation Scheme from Lake then Preparation of DPR of Irrigation Scheme along with Drainage system comprising of soil classification, borrow area plan /disposal area plan,Land Acquisition plan, working drawing, working estimate & BOQ for Drainage System/Irrigation System and their structures all complete and getting approved from competent authority with all compliances.
2	EOI Tender fee	Rs. 10000.00
3	Earnest Money	Rs. 100000.00
4	Time of completion of Survey	Within Two Months
5	Time of completion of work	Four Months
6	Last date & Time of receiving of EOI	08.10.2018 5:00 PM
7	date & Time of uploading of EOI on website	18.09.2018 11.30 AM
8	Pre bid meeting	24.09.2018 01.30 PM
9	date & Time of opening of Technical Bid	12.10.2018 01.30 PM
10	Name & address of the office inviting EOI	Executive Engineer, Ganga Pump canal Division Sahibganj Mob-9431194614
11	Help no. of E-Procurement cell	06432-232477

नोटः- ई० ओ०आई० हेतु केवल ई०-निविदा ही स्वीकार किये जायेगें।

ज्यादा जानकारी http://jharkhandtenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

8/9/18

कार्यपालक अभियंता,
गंगा पम्प नहर प्रमंडल,साहेबगंज।

8/9/18
E.O

(490)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–17 का प्रश्नोत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 13 लाख किसानों का फसल बीमा वर्ष 2017–18 में कराया गया था, जिसकी क्षतिपूर्ति अब तक नहीं की गई है,	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2017–18 में कुल 11.95 लाख किसानों का फसल–बीमा किया गया, जिसके विरूद्ध 1.39 (एक लाख उनतालिस हजार) किसानों को अनुमान्य कुल मो0–47.18 करोड़ रूपये मात्र बीमा कम्पनियों के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2018 के लिए इंश्योरेंश कम्पनी को निर्देशित किया जा रहा है कि पहले वे किसानों को अनुमान्य क्षतिपूर्ति (Admissible Claim) जो कि मो0–489.36 करोड़ रूपये है, का भुगतान करें, जिसके पश्चात शेष राशि उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि इस वर्ष खरीफ मौसम में राज्य में 27.84 लाख हेक्टेयर में मक्का, दलहन, तेलहन की खेती के लक्ष्य के अनुरूप 5.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण फसल नहीं हो पाया,	स्वीकारात्मक। खरीफ वर्ष 2019–20, ईकाई–ल0/आ0–लाख हेक्टेयर में माह जून 2019 से माह सितम्बर 2019 तक कुल–1027.7 मि0मि0 सामान्य वर्षापात के विरूद्ध 812.7 मि0मि0 वास्तविक वर्षा (79%) होने के कारण फसल आच्छादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा 7.29 लाख हेक्टेयर में फसल आच्छादन नहीं हो पाया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के किसानों के फसल बीमा के आलोक में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2019–20 के लिए अधिसूचित फसलों हेतु फसल कटनी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) के आंकड़े सांख्यिकी निदेशालय के स्तर से अप्राप्त है। आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान से संबंधित अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नई योजना "झारखण्ड राज्य किसान राहत कोष हेतु अनुदान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका गठन ट्रस्ट मोड के रूप में किया जायेगा। उक्त योजना अन्तर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों के फसलों की ह्रास की स्थिति में उचित मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

फसल का नाम	लक्ष्य	आच्छादन	आच्छादन का प्रतिशत (%)
धान	18.00	13.577	75.43
मक्का	3.12	2.491	79.71
दलहन	6.12	4.145	67.64
तेलहन	0.60	0.353	58.94
कुल–	27.85	20.56	73.83

ह0/–
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

1116
17/03/2020

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/फसल बीमा (वि0स0) तारांकित–09/2020 सह0 446 /राँची, दिनांक– 17/03/2020

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 364 वि0स0 दिनांक 24.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.03.2020

सरकार के अवर सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–28 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता सुश्री अम्बा प्रसाद मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग शहर में 220 वोल्ट के खुले तारों को हटाकर केवल लगाने के लिए गोपी कृष्णा कंपनी को अधिकृत किया गया है; ;	स्वीकारात्मक। IPDS योजना के तहत् हजारीबाग शहरी क्षेत्र में मेसर्स गोपी कृष्णा को 79 कि०मी० नंगे एल०टी० लाईन को AB Cable से बदलने का कार्य दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली के खंभे लगाए जाने हैं उसमें 5" फीट गहराई में 2"x 2" फीट का बेस प्लेट तथा 2 बोरी सीमेंट, बालू तथा कंक्रीट का पक्का ढलाई के साथ-साथ एक अर्थिंग छड़ लगाने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजना के अन्तर्गत 8 मीटर PSC Pole का प्रावधान है जिसको गाड़ने हेतु पोल की लम्बाई का 6 भाग का गड्ढा (लगभग 5 फीट) एवं 450mm x 450mm x 75mm का Stone Base Plate एवं गड्ढे को भरने हेतु 1/2/4 अनुपात का Cement Mixture तैयार कर Concrete करने का प्रावधान है। जिन पोलों में SMDB Box लगाया जाना है, सभी में Spike Rod द्वारा Earthing करने का प्रावधान है।
3. क्या यह बात सही है कि गोपी कृष्णा कंपनी के द्वारा ड्रिल मशीन द्वारा खुदाई कर बिजली के खंभे खड़े किए गए, जिसका व्यास कम होने के कारण गड्ढों की ढलाई और बेस प्लेट तथा अर्थिंग छड़ नहीं लगाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। एल०टी० AB Cable कार्य हेतु कुल 1585 PSC Pole गाड़ा गया है, जिसमें 1335 पोल का गड्ढा मानव बल द्वारा किया गया है जिसमें 450mm x 450mm x 75mm का Stone Base Plate का उपयोग किया गया है एवं शेष 250 पोल का गड्ढा मशीन द्वारा ड्रिल कर दिया गया है, जिसमें Stone Base Plate की जगह पर सीमेंट द्वारा Concrete कर नीचे में Base Plate बनाया गया है और दोनों ही स्थिति में गड्ढे को भरने हेतु 1/2/4 अनुपात का Cement Mixture तैयार कर Concrete किया गया है एवं Spike Rod द्वारा Earthing किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जाँच उच्चस्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से करवाकर कंपनी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	मेसर्स गोपी कृष्णा के द्वारा कार्य को त्वरित गति से पूरा करने की दृष्टिकोण से 250 पोल मशीन द्वारा ड्रिल कर गाड़ा गया है, जिसके निचले हिस्से का व्यास ऊपर की तुलना में कम होने के कारण Stone Base Plate के स्थान पर Cement Concrete का उपयोग किया गया है। वर्तमान में कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, जिसे बदलने हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता हजारीबाग के कार्यालय के पत्रांक 82/वि०का०अभि०/ह०बाग, दिनांक 28.01.2020 के द्वारा निदेशित किया गया है एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य सही ढंग से कार्यादेश के अनुसार संपन्न हो।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 574 / दिनांक 16/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2020

सरकार के अवर सचिव

492

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोड्डा प्रखण्ड के पूर्वी क्षेत्र के पाँच पंचायतों की कुल जनसंख्या-65 हजार से ज्यादा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में आबादी एवं विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए भी विद्युत सबस्टेशन की स्थापना नहीं की गई है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है तथा आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा के पूर्वी क्षेत्र-सरौनी में निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए सबस्टेशन बनाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में गोड्डा विधान सभा के पूर्वी क्षेत्र के पंचायतों की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र गोड्डा के 11 के०भी० गोरसंडा फीडर से की जा रही है। गोड्डा सबस्टेशन पर अत्याधिक भार पड़ने से कभी-कभी पीक आवर में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। JSBAY योजना के तहत् कन्हवारा में एक नये 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसे माह जून 2020 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। इस नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण के उपरांत गोड्डा के पूर्वी क्षेत्र के पंचायतों को निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 576 / दिनांक 16/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/20
सरकार के अवर सचिव

(493)

श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ST, SC एवं OBC के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सहायता हेतु सरकार ने प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है एवं 2019–20 में 391 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य योजनान्तर्गत प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में रू० 662.2325 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने 2017–18 से प्रति वर्ष मिलने वाली अधिकतम् राशि को प्रति छात्र आधी कर देने एवं राज्य के बाहर पढ़ने वालों को छात्रवृत्ति पर रोक लगा देने के कारण गरीब छात्र–छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या– 636, दिनांक– 21.02.2018 द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 प्रवृत है, जिसके प्रावधानानुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनर्विचार करते हुए प्रति छात्र मिलने वाली राशि को अधिक करने एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(तारांकित)–02/2020 692 राँची, दिनांक– 5/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 302, दिनांक– 24.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/2020
(नग नारायण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

494

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सरिया प्रखण्ड में विद्युत आपूर्ति हेतु एकमात्र सरिया सबस्टेशन है, जो पर्याप्त नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सरिया प्रखण्ड क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु केशवारी एवं कैलाटांड़ में सबस्टेशन की आवश्यकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरिया में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु केशवारी एवं कैलाटांड़ में विद्युत सबस्टेशन बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गिरिडीह (द०) के पत्रांक 403 दिनांक 27.02.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि केशवारी में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र (33/11 के०भी०) की जरूरत नहीं है, क्योंकि केशवारी से थोड़ी ही दूरी पर बगोदर प्रखण्ड में मुण्डरो में एक अदद् 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र प्रस्तावित है। इनसे निकलने वाली 11 के०भी० फीडर से केशवारी के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किया जाना भी प्रस्तावित है, जबकि कैलाटांड़ के आसपास एक अदद् 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की आवश्यकता है। इसे JSBAY Phase-II के अन्तर्गत सम्मिलित करने एवं भूमि चिन्हित करने हेतु संवेदक (TKC) को निर्देशित (इस कार्यालय का पत्रांक 403 दिनांक 27.02.2020 के द्वारा) किया गया है। विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसे पूर्ण करने का लक्ष्य सितम्बर, 2020 तक निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 471 /

दिनांक 3/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/20

सरकार के अवर सचिव

श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. या यह बात सही है कि देवघर जिला के प्रखण्ड पालजोरी में 220 मेगावाट ग्रीड की स्वीकृति पूर्व की सरकार द्वारा दी गयी है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि पालजोरी में पावर ग्रीड हेतु उपायुक्त देवघर द्वारा विभागीय जमीन उपलब्ध करा दी गयी है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2020–21 में पावर ग्रीड निर्माण करना चाहती है, नहीं तो क्यों	देवघर जिला के प्रखण्ड पालोजोरी में 220/132/33 के०वी० ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण पी०पी०पी० माध्यम के तहत कियान्वयन हेतु प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 573 /

दिनांक 16/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/20

सरकार के अवर सचिव

(496)

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक-19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रo	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड में बेहतर सिंचाई सुविधा हेतु सिमरढाब मध्यम सिंचाई योजना के तहत् बाँध की स्वीकृति वर्ष 2013 में ही दी गयी थी ;	प्रश्नगत योजना की प्र०स्वी० वर्ष 2008-09 में दी गई थी। स्थानीय व्यवधान के कारण योजना पूरी नही हो सकी एवं न्यायालय के आदेश के आलोक मे योजना का एकरारनामा बन्द कर दिया गया।
2	क्या यह बात सही है कि स्वीकृति के 7 वर्ष बाद भी योजना पूर्ण नहीं हुई और बारिश में क्षतिग्रस्त हो गयी ;	
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सिमराढ़ाब सिंचाई योजना को पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	योजना का सर्वेक्षण कर पुर्नस्थापन का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एंव क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए योजना की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०-03/2020 1647 / राँची, दिनांक- 01/3/2020

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-121 दिनांक-21.02.2020 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(497)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०व०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आये दिन ट्रांसफार्मर के जलने या खराब होने की स्थिति में उक्त ट्रांसफार्मर को बनने में एक माह से अधिक समय लग जाता है, जिसके कारण उक्त क्षेत्रों में कई बार कामचलाऊ व्यवस्था के तहत् कंडम ट्रांसफार्मर दे दी जाती है, जो एक-दो दिन में ही पुनः खराब हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है;	अस्वीकारात्मक है। TRW से निर्गत किए गये ट्रांसफार्मर की एक वर्ष की न्युनतम गारंटी होती है। त्वरित रूप से शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है।
2.यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित मे वर्णित क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर मरम्मति कार्य हेतु एक निर्धारित समय-सीमा के निर्धारण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 522 /   दिनांक 6/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/20

सरकार के अवर सचिव

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-43 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के पत्रांक–63/12.02.19 द्वारा प्रखंड पाण्डु के खुझानाला पर चेकडैम प्रा० राशि 56,17,900, बहुआरा नाला पर चेकडैम प्रा० राशि 49,29,080, मंगर दाहा नाला पर चेकडैम प्रा० राशि 46,06,700 एवं विश्रामपुर प्रखंड में बलहा नदी पर चेकडैम प्रा० राशि 46,54,200/– की स्वीकृति दी गई है ;	स्वीकारात्मक। प्रखंड पाण्डु के खुझानाला तथा बहुआरा नाला एवं विश्रामपुर प्रखंड में बलहा नदी पर चेकडैम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मंगरदाहा नाला पर चेकडैम की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना का कार्य पूर्ण नहीं कराकर सिर्फ खानापूरी कर राशि की निकासी कर संवेदक एवं अभियंता द्वारा बंदरबाँट कर ली गई है ;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में तीनों चेकडैम का Layout किया गया है, जिसमें बहुआरा नाला तथा खुझा नाला योजना में मात्र Foundation की खुदाई की गई है। भेलवा नाला में अधिक जल जमाव के कारण योजना का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। तीनों योजनाओं में अभी तक कोई आंबटन नहीं दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या जनहित में सरकार उक्त योजनाओं की जांच कराकर दोषी संवेदक एवं अभियंताओं पर कार्रवाई कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–43/2020 2159 /   राँची, दिनांक– 17.03.2020

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–....... दिनांक–....... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2020

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क–17 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग के संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 के आलोक में आवासीय विद्यालय बोआरीजोर जिला–गोड्डा में विनोद कुमार, मनोज कुमार समेत राज्य में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति 4 वर्ष पूर्व की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत घंटी आधारित शिक्षक श्री विनोद कुमार एवं श्री मनोज कुमार की सेवा घंटी के आधार पर क्रमशः मई, 2017 एवं मार्च, 2017 से प्राप्त की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि घंटी आधारित शिक्षकों को 200 रूपया प्रति घंटी के दर से वृतिका दिया जाता है। इसके बदले सुबह 10 बजे से 4.15 बजे शाम तक स्थायी सरकारी सेवकों के तहत उपस्थित रहना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शिक्षकों की घंटी के आधार पर सेवा एक दिन में अधिकतम 04 घंटी के लिए एवं एक सप्ताह में अधिकतम 05 कार्यदिवस को ही लिया जाता है। जिसके लिए 200 रू० प्रति घंटी राशि का भुगतान किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि कार्यरत शिक्षकों में से 105 शिक्षकों का उम्रसीमा 35 पार कर जाने के कारण अब ये शिक्षक नियमित स्थायी सरकारी सेवा में कभी भाग नहीं ले पायेंगे;	अस्वीकारात्मक। घंटी के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित स्थायी सरकारी सेवा के लिए चयन परीक्षा में भाग लेने पर विभाग स्तर से कोई रोक नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आवासीय विद्यालयों में घंटी के आधार पर सेवा प्रदान करने वाले शिक्षकों का चयन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत शिक्षक के पद पर हुआ है।
4	क्या यह बात सही है कि कार्यरत शिक्षकों को प्रति वर्ष सेवा विस्तार हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है;	घंटी के आधार पर शिक्षकों की सेवा लेने की अवधि को मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत विस्तारित किया जाता है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को स्थायी–नियमित सेवक बनाने या घंटी आधारित वृतिका भुगतान (जीवन यापन) के स्थान पर मानदेय लागू करने के साथ 60 वर्ष तक सेवा लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 में निरूपित नियमों एवं शर्तों के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर सेवारत घंटी आधारित शिक्षकों को देय घंटी आधारित वृतिका के स्थान पर मानदेय निर्धारित करते हुए सेवा अवधि 60 वर्ष करने अथवा सेवा नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–07/2020–क–769 रांची, दिनांक– 16/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–790, दिनांक–05.03.2020 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2020

(नग नारायण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

500

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–05 का उत्तर

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मदद से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवा सम्मान पेंशन योजना एवं आदिम जन जाति पेंशन योजना चल रही है,	स्वीकारात्मक। **केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ :–** 1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, **राज्य योजनान्तर्गत संचालित योजनाएँ :–** 1. मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना 2. मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना 3. मुख्यमंत्री राज्य आदिम जन जाति पेंशन योजना
2.	क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं में नियमित भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के वृद्धों एवं विधवाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कुछ जिलों में कुछ योजनाओं में राशि के अभाव में पेंशन का भुगतान लंबित था। अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का उपबंध कर सभी जिलों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करा दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 50% वृद्ध एवं विधवा इस योजना के लाभ से वंचित है,	कितना प्रतिशत वृद्ध एवं विधवा इस योजना के लाभ से लाभान्वित नहीं हैं, यह आंकड़ा विभाग के पास वर्त्तमान में उपलब्ध नही है, क्योंकि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस योजना का लाभ सभी अर्हत्ता धारियों को ससमय दिलाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के वृद्ध एवं विधवा व्यक्तियों को उनके लिए निर्धारित पेंशन योजना के अंतर्गत बजट उपबंध के अनुरूप लक्ष्य के अनुसार ही आच्छादित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में भी बजट उपबंध के अनुरुप लक्ष्य के अनुसार ही अहर्त्ताधारियों को ससमय लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अहर्त्ताधारियों को लाभ उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव वर्ष 2020–21 में विधाराधीन नही है, क्योंकि भारत सरकार की योजना में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–46/2020 –487 राँची, दिनांक : 17-03-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 314/वि0स0 दिनांक–24.02.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

581

माननीय स0वि0स0 श्री वैद्यनाथ राम द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज–47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र की सीमा के दांडरो नदी पर वर्ष 2013 में 3.25 करोड़ की लागत से बना चेक डैम निर्माण के 4 वर्ष बाद बह गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त चेक डैम में बरती गयी लापरवाही के लिए दोषी अभियंताओं एवं पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डैम निर्माण में बरती गयी लापरवाही की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रस्तुत मामले में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक 515 दिनांक 14.03.2019 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। जिसके उपरांत विभागीय पत्रांक 1884 दिनांक 05.04.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में, दोषी अभियंताओं के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसे मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक 1128 दिनांक 12.07.2019 से विभाग को समर्पित किया गया है। तदोपरांत विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा जाँच प्रक्रियाधीन है।

अनु0–पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 2161 रांची, दिनांक– 17.3.20

प्रतिलिपि – अपर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा रांची को उनके ज्ञापांक सं0–951, दिनांक–08.03.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, रांची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, रांची

S02

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–25 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के केरसई प्रखण्ड अन्तर्गत कोंजोवा पंचायत स्थित गोरारजोर बारटोली, कोरकोटजोर, डिपूटोली, कोदोटांड़, मटासी एवं बगाई आदि ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है, जिससे इन ग्रामवासियों को लालटेन युग में जीवन जीना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित ग्रामों का वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्युतीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	सिमडेगा जिला के केरसई प्रखण्ड अन्तर्गत कोंजोवा पंचायत स्थित गोरारजोर बारटोली, कोरकोटजोर, डिपूटोली, कोदोटांड़, मटासी एवं बगाई आदि ग्रामों के छूटे हुए टोलों का विद्युतीकरण DDUGJY योजना के तहत् किया जा रहा है जिसे जून 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 577 / दिनांक 16/3/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/20

सरकार के अवर सचिव

203

श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक-19.03.2020 को पूछा जाने वाला तायंकित प्रश्न सं०-ज०-33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम-सलैया में सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नही है, जिसके कारण किसानों को कृषि कार्य करने में घोर असुविधा होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्राम सलैया में जिला द्वारा नावा आहर तालाब एवं मनरेगा द्वारा कूप तथा एक चेकडैम पूर्व से निर्मित हैं, जिनसें सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है।
2	क्या यह बात सही है कि बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम सलैया में बरसोली नदी पर सिरीज चेकडैम का निर्माण होने से आम ग्रामीण किसानों को सिंचाई की समुचित साधन उपलब्ध होगी ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त नदी पर सिरीज चेकडैम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी सम्भाव्यता पाये जाने पर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एंव क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए योजना के निर्माण के बिन्दु पर निर्णय लिया जावेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–33/2020 2154 / राँची, दिनांक– 17.03.20

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(504)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.03.2020 को सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०-ज०-35 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोड्डा के सिंहवाहिनी, कुर्मीचक, प्रखण्ड–बसंतराय के ग्राम जमनीकोला एवं महेशटिकरी में वृहत् सिंचाई योजना निर्माण कार्य स्वीकृति के लिए सिंचाई प्रमण्डल दुमका में लंबित है ;	अस्वीकारात्मक है। इस कार्य हेतु प्रथमतः सर्वेक्षण किया जाना है जिसके लिए विस्तृत संभाव्यता प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु Term of Reference (ToR) मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान के यहाँ प्रक्रियागत है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में वृहत् सिंचाई योजना का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों,	वर्णित क्षेत्रों में सर्वेक्षण हेतु प्रक्रिया के पश्चात् संभाव्यता होने पर, प्रस्ताव के अनुरूप बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर आगामी वर्षों में निर्णय लिया जायेगा।

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारा०–35/2020 ....1926...... /राँची, दिनांक–..06/03/2020

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्र संख्या–683 वि०स० दिनांक–03.03.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2020

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची।

505

माननीय स०वि०स० श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के कांण्डी प्रखण्ड के ग्राम भडरिया से सूंडीपुर तक उत्तर कोयल से निकलने वाली 11 कि०मी० लंबी नहर के पक्कीकरण की 22 बाईस करोड़ रू० की योजना की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है तथा कार्य सम्पन्न कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। Technical Advisory Committee (TAC) की 132वीं बैठक में 6 मार्च 2017 को परियोजना के वर्त्तमान स्वरूप में स्वीकृति दी गई है। Technical Evaluation Committee (TEC) की बैठक में दिनांक 14.07.2017 को बायें मुख्य नहर का पूर्णतया कंक्रीट लाईनिंग करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, यह कार्य भारत सरकार के लोक उपक्रम WAPCOS Ltd. को Project Management Consultant के रूप में 23.87 Crore + GST की लागत पर दिनांक 04.09.2018 को सौंपा गया है। इस कार्य के अंतर्गत बांयी मुख्य नहर की लम्बाई 11.89 कि० मी० है। अद्यतन, यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर का पक्कीकरण का कार्य संवेदक द्वारा अत्यंत घटिया किया गया है जिससे पक्कीकरण कई जगहों से टूट रहा है एवं रिसाव के कारण किसानों को सिंचाई का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। सिंचाई का समुचित लाभ नहर के पक्कीकरण के कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त होगा। नहर के पक्कीकरण के उपरांत पूर्ण सिंचाई क्षमता 1260 हे० में सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। उत्तर कोयल परियोजना की मोनिटरिंग हेतु केन्द्रीय जल आयोग में गठित TEC (Technical Evaluation Committee) की उपसमिति, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, रांची के निदेशक हैं, को परियोजना की मोनिटरिंग एवं गुणवत्ता का दायित्व सौंपा गया है। कार्य प्रगति में है एवं कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि के निराकरण हेतु भारत सरकार का लोक उपक्रम WAPCOS Ltd. जिम्मेवार होगा क्योंकि Defect Liability Period, WAPCOS Ltd के एकरारनामा के अनुसार दो वर्ष निर्धारित है। WAPCOS Ltd. द्वारा सम्पादित कार्यों का भुगतान गुण नियंत्रण जांचफल प्राप्त होने पर Technical Evaluation Committee की उपसमिति की अनुशंसा के उपरांत एवं TEC के अनुमोदन प्राप्ति के बाद ही भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। WAPCOS Ltd. को कोई भी भुगतान राज्य सरकार के द्वारा अब तक नहीं किया गया है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घटिया कार्य एवं अवैध निकासी की जाँच कराकर दोषी संवेदक एवं अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	

अनु0–पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 6/प्र0नि0-20-[illegible]-47/2020- 2160 रॉंची, दिनांक– 17-03-2020

प्रतिलिपि – अपर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा रॉंची को उनके ज्ञापांक सं0–891, दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, रॉंची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, रॉंची

506

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जयसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ, धनबाद एवं चतरा आदि जिलों में विद्युत आपूर्ति कार्य DVC द्वारा संचालित ग्रिड से की जाती है जबकि राज्य के शेष (अन्य) जिलों में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित ग्रिड से विद्युत आपूर्ति कार्य की जाती है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि DVC (डी०भी०सी०)द्वारा संचालित ग्रिड के मनमानी के कारण आये दिन विद्युत आपूर्ति कार्य बाधित हो जाती है, जिससे उक्त जिलों के लगभग एक करोड़ आबादी प्रभावित होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डी०भी०सी० द्वारा संचालित ग्रिड से संचालित जिलों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कार्य हेतु हजारीबाग में ग्रिड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा डी०भी०सी० कमाण्ड क्षेत्रों में 132/33 के०भी० के 13 ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें से हजारीबाग जिले में चरही, बरकागाँव एवं विष्णुगढ़ शामिल है तथा कार्य प्रगति पर है। ग्रिड निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य 24 माह निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 556 / दिनांक 13/3/2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के अवर सचिव

507

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.03.2020 को पूछा जानेवाला तरांकित प्रश्न संख्या– खा०–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
सुश्री अम्बा प्रसाद,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरांव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में किसानों के द्वारा विभिन्न पैक्सों में धान का बिक्री किया जाता है;	राज्य के 21 जिलों में लैम्पस/पैक्सों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति किया जा रहा है। शेष 3 जिलों पलामू, गढ़वा एवं चतरा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान क्रय किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि पैक्स अध्यक्ष किसानों से उधार धान क्रय कर संबंधित (टैगिंग) मिलों को धान देते है;	लैम्पस/पैक्सों द्वारा किसानों से अधिप्राप्त किये गये धान को संबंधित टैग मिल में भेजा जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चयनित पैक्सों को तीन राइस मिल (I) हजारीबाग राइस मिल, (II) हेमकुन्ट राइस मिल तथा (III) चन्द्रावती राइस मिल को टैग किया गया है तथा इन मिलों को निर्देश है कि एडवांस चावल F-C-I गोदाम में जमा करेंगे उसके पश्चात ही पैक्सों से धान का उठाव करेंगे;	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिलान्तर्गत चयनित पैक्सों को चार राईस मिलों हजारीबाग राईस मिल, हेमकुन्ट राईस मिल, चन्द्रावती राईस मिल एवं तृप्ति राईस मिल से टैग किया गया है। राईस मिलों को एडवांस चावल (CMR) या बैंक गारण्टी के विरूद्ध धान दिया जाता है ताकि राईस मिलों के पास धान लंबित न रह सके।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों से क्रय किये गये धान का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	किसानों को भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06 (वि०स०)–18/2020– 732 /राँची, दिनांक 17/03/20

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 896/वि०स०, दिनांक 07.03.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/20
सरकार के अवर सचिव।

508

डा० इरफान अंसारी, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क–07 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड में लगभग 37.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी रहने के बावजूद गरीब अनुसूचित जनजाति बच्चे बच्चियों को पढ़ाई में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक। जनगणना, 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 24.08 प्रतिशत है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के अलावा जामताड़ा जिलांतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए वर्तमान में निम्नांकित आवासीय विद्यालय संचालित है:– क्र० | विद्यालय का नाम 01 | अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक वि०, कुंडहित, जामताड़ा 02 | अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि०, कुंडहित, जामताड़ा 03 | आश्रम बालिका विद्यालय, पर्वत विहार, जामताड़ा उक्त आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। उक्त आवासीय विद्यालयों में जिला के किसी भी प्रखण्ड, ग्राम के अनुसूचित जनजाति/आदिम जनजाति के बच्चे/बच्चियाँ नियमानुसार नामांकन करवाकर आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते/सकती हैं।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में एक आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–03/2020–क– 616 राँची, दिनांक– 28.02.20

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–367, दिनांक–25.02.2020 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2020

(नग नारायण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

509

श्री समीर कुमार महांति, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०-कृष-29 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री समीर कुमार महांति, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखण्ड भारत के उन गिने-चुने राज्यों में से है, जो काजू की बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा-चाकुलिया क्षेत्र में काजू की काफी बागवानी की जाती है, परन्तु काजू प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि बहरागोड़ा-चाकुलिया में काजू की बागवानी की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH) योजनान्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रारंभिक/चालित/अल्प प्रसंस्करण इकाई अवयव अन्तर्गत प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु 25 लाख प्रति इकाई प्रावधानित है। यह परियोजना आधारित ऋण संबद्ध बैंक एंड सब्सिडी योजना है, जिसपर सामान्य क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 40 प्रतिशत जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 55 प्रतिशत सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। बहरागोड़ा-चाकुलिया में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH) योजनान्तर्गत काजू प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु पूर्व में सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:- (i) श्री सुबोजित दास, बहरागोड़ा, वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 60Kg/8 घंटा है। (ii) महिला कल्याण समिति, बहरागोड़ा वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 60Kg/8 घंटा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार काजू की बागवानी के लिए विशेष रूप से प्रोजेक्ट चलाने का एवं बहरागोड़ा-चाकुलिया में प्रोसेसिंग प्लांट बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(ता०)-18/2020 595 कृ०, राँची, दिनांक- 18-03-2020
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-973 दिनांक-12.03.2020 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.03.2020
(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(ता०)-18/2020 595 कृ०, राँची, दिनांक- 18-03-2020
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोर्टयार्ड, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जिला पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.03.2020
सरकार के अवर सचिव।

510

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड के जीतपुर पंचायत के सभी गाँव ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड के जीतपुर पंचायत के सभी गाँव ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के सभी ग्रामीणों से शहरी दर से बिजली बिल का भुगतान लिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। टैरिफ के प्रावधानानुसार, उक्त पंचायत के गोमो बाजार से सटे क्षेत्रों यथा हटियाटाँड़, आश्रमगली, आर०ई० कॉलोनी, रिटायर्ड कॉलोनी एवं राजाबगान के घरेलु उपभोक्ताओं का वितरीकरण शहरी दर पर एवं इसके अतिरिक्त मुखिया बस्ती, लोहार बस्ती, थीरूटाँड़, बुधनापाड़ा एवं तेहराटाँड़ के घरेलु उपभोक्ताओं का वितरीकरण ग्रामीण दर पर किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि शहरी एवं ग्रामीण बिजली का दर अलग–अलग है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में लागू घरेलु ग्रामीण एवं घरेलु शहरी श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ दर निम्नांकित है:– Energy Charge / Fixed Charge घरेलु ग्रामीण: Rs. 5.75/ kWh / Rs. 20/ connection/ month घरेलु शहरी: Rs. 6.25/ kWh / Rs. 75/ connection/ month उक्त टैरिफ दर पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। घरेलु उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की विवरणी संलग्न है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुए ग्रामीणों से ग्रामीण दर पर बिजली बिल का भुगतान लेने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 557 / दिनांक 13/3/20

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20
सरकार के अवर सचिव

51

श्री दीपक बिरुआ, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–म०स० 07 का उत्तर :–

क्रम०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखण्ड में कुल– 168 आँगनवाड़ी केन्द्र में से 143 केन्द्रों पर बच्चों को खेलने हेतु खेल सामग्री, खाने के लिए बर्तन एवं लेखन सामग्री की आपूर्ति विगत 2 वर्षों से बन्द है, जिस कारण आँगनवाड़ी सेविकाओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सदर प्रखण्ड के सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में लेखन सामग्री की आपूर्ति नियमित रुप से की जा रही है। मात्र 30 आदर्श आँगनवाड़ी केन्द्रों में खेल सामग्री एवं खाने का बर्त्तन सम्प्रति उपलब्ध है, शेष आँगनवाड़ी केन्द्रों में खेल सामग्री एवं खाने के लिए बर्त्तन का अभाव है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले को लेकर सेविकाओं ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन सी०डी०पी०ओ० को सौंपा है।	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त वर्णित आँगनवाड़ी केन्द्रों में संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2020–21 में भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने की परिस्थिति में खेल सामग्री एवं खाने के बर्त्तन उपलब्ध कराये जायेंगे।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–78/2020 – 495 रॉंची, दिनांक : 18-03-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0– 895/वि0स0 दिनांक–07.03.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

512

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–28 का उत्तर।

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड में पशु चिकित्सक के पद स्वीकृत है;	आंशिक अस्वीकारात्मक। सम्प्रति राज्य में प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के कुल 211 पद स्वीकृत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड में एक भी पशु चिकित्सक पदस्थापित नहीं है;	अस्वीकारात्मक। हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चार पशुचिकित्सक (डॉ० ज्योति मिंज, डॉ० विद्यासागर, डॉ० अजय कुमार, डॉ० संतोष केरकेट्टा) पदस्थापित हैं।
3	क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सक के अभाव में पशुपालकों को पशु के ईलाज में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। संबंधित पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पशुओं की समुचित ईलाज हेतु हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र के सभी प्रखंड में पशु चिकित्सक का पदस्थापना करना चाहती है,हाँ तो कब तक,नहीं, तो क्यों ?	संबंधित विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सक पदस्थापित/कार्यरत हैं (यथा उपर्युक्त कंडिका–2)।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक– 6/वि०स०/तारांकित/20/2020 प०पा०/ 316 /राँची, दिनांक 18/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–898/वि०स०, राँची, दिनांक–07.03.2020 के आलोक में उत्तर की कुल 200 चक्रलिखित प्रतियाँ एवं अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/20
सरकार के अवर सचिव

513

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक-19.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रo	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007–08 में भवनाथपुर प्रखण्ड अंतर्गत कड़ीयन नाला बांध का निर्माण आरम्भ कराया गया परन्तु संवेदक के द्वारा अब तक कार्य पूरा नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं अभियंता की मिलीभगत से बांध बीच में धंस जाने के कारण योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच कर संवेदक एवं अभियंता पर कार्रवाई करने तथा उक्त बांध का निर्माण पूरा कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना का सर्वेक्षण कर द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार हो गया है। योजना की जाँच विभागीय केन्द्रीय रूपांकण संगठन द्वारा की गई है। केन्द्रीय रूपांकण संगठन के जाँच फल एवं उनसे प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के उपरांत योजना के अवशेष कार्यों को पूरा कराने के बिन्दु पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–07/2020 2157 / राँची, दिनांक–17/3/2020

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।